प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 128 / **2023** (अपील सूचना का अधिकार)

Deepika Kumawat D/o Radheshyam Kumawat add.: 16, Nag Marg, Chandpole, Girwa, Udaipur

...............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329130804068878 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना भ्रामक तथ्याधारित सम्प्रेषणार्थ उपलब्ध करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3386324848 दिनांक 04.10.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 128 / 23 / 2023 / 1335–36 दिनांक 04.10.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी की तरफ से उनके प्रतिनिधी उपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने पत्र क्रमांकः एफ1(सी)(3)परीक्षा / आरटीआई / 2023 / 1073 दिनांक 20.10.2023 से लोक सचूना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पत्र प्रेषित करते हुए अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई। साथ ही इस कार्यालय को भी अवगत करवाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प. / 41 / 2 / सू.अ. / प्रथम अपील / 128 / 2023 / 1172–73 दिनांक 25.10.2023 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए कार्यालय को अवगत करवाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक 1073 दिनांक 20.10.2023 से एवं प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर के पत्रांक 1172–73 दिनांक 25.10.2023 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपलब्ध करा दिये जाने से प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर